

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प. 19 (4) सा.प्र./ग्रुप-4/15

जयपुर, दिनांक 11/9/15

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रुपये 3.80 लाख (अक्षरे तीन लाख अस्सी हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं.	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	विपिन सिंह यादव 4/26 गांधीनगर	1.Replacement of window 2.Rough kota stone 3.Raising compound wall 4. AC Car shed	0.09 0.15 0.28 0.44	0.96
2	भागचन्द जैन एफ-184 गांधीनगर	1.Tile flooring 2.Rough kota stone 3.AC shed Replacement	0.68 0.19 0.10	0.97
3	राजेश अरोडा एफ-717 गांधीनगर	1.Tile flooring 2.Renovation of Bath. 3. Boundary wall 4. Rough kota stone	0.21 0.35 0.32 0.05	0.93
4	अनिल कुमार माथुर एफ-176 गांधीनगर	1.Rough kota stone 2.Tile flooring 3. GI shed Replacement	0.45 0.22 0.27	0.94

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी व उनके समकक्ष अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

Sd/-
(एम.के.खींची)

शासन उप सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. संबंधित आवासी।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव (क)